न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 32/2022
GCMS Case No. : 2022/152

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
1. हडमन्तसिंह पुत्र दौलतसिंह 2. मनोहरसिंह पुत्र दौलतसिंह जातिगण राजपूत निवासी गुड़ा भीमसिंह, तहसील रानी जिला पाली		1. वगताराम पुत्र सेलिया (चेलाराम) के कायम मुकाम 1/1 मांगीलाल पुत्र वगताराम 1/2 लुम्बाराम पुत्र वगताराम 2. हकाराम पुत्र सेलिया (चेलाराम) जातिगण मेघवाल निवासीगण गुड़ा भीमसिंह तहसील रानी जिला पाली

"राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

–:: आदेश ::–

दिनांक : 29/09/2025

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2013 बअनवान वगताराम वगैरा बनाम हड़मन्तसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरूद्ध पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट् संख्या 1/1 बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन अनुपस्थित एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट् संख्या 1/2 एवं 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि रेस्पोडेण्ट वगताराम व हकताराम ने तहसीलदार रानी के समक्ष 183(बी) राजस्थान काश्ताकरी अधिनियम के तहत पेश कर मौजा गुड़ा भीमसिंह के खसरा संख्या 58, 59, 60, 61 व 63 की भूमि के 1/2 हिस्से पर राजपूत बाहुबलियों का कब्जा होना बताते हुये, रेस्पोडेण्ट्स को कब्जा दिलवाने का निवेदन किया। काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व जैर आराजी पर अपीलाण्ट का मालिकाना हक अधिकार था एवं सम्वत् 2005 एवं उससे पूर्व से मालिक होकर खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट के पक्ष में हो चुके थे जो कि खसरा गिरदावरी एवं फर्द बेरावर से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय को संक्षित कार्यवाही के जरिये हक अधिकार का निस्तार करने का अधिकार नहीं है क्योंकि हक, अधिकारों का निस्तारण मूल वाद

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के जरिये ही किया जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त खसरान की भूमि के सम्बन्ध में धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी में वाद दायर किया गया जो वर्तमान में लम्बित है। जैर आराजी की मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश भी दिनांक 31.07.2013 को पारित किये जा चुके है और मूल दावा अभी अन्तिम बहस में लम्बित होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और पत्रावली में कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के विचाराधीन रहते जैर अपील आदेश पारित किया, जो कि विधिसम्मत नहीं है इसलिये जैर अपील स्वीकार फरमाते हुये अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाते हुये पत्रावली रिमाण्ड कर मूल वाद के अन्तिम निरस्तारण कर लम्बित रखे जाने के आदेश फरमावे।

हमने अधिवक्ता अपीलाण्ट की एकपक्षीय श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर अपील तहसीलदार रानी द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1/2013 बअनवान वगताराम वगैरा बनाम हड़मन्तसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरूद्ध पेश की है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का दौराने बहस यह उज्र था कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना और मूल वाद के विचाराधीन रहते आर.टी.एक्ट की धारा 183(ख) के तहत विधिविरूद्ध तरीके से कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया। इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर पाते है कि रेस्पोडेण्ट्स वगताराम एवं हकाराम द्वारा तहसीलदार रानी के समक्ष दिनांक 14.05.2013 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया एवं आदेशिका दिनांक 26.06.2013 को अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित आये एवं उनकी तरफ से अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिन्होनें जवाब एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु समय चाहा। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 13.08.2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा स्थगन आदेश पारित होने से कार्यवाही स्थगित करना अंकित किया। इसके पश्चात दिनांक 01.04.2016 को स्थगन आदेश मूल वाद के निर्णय तक कन्फर्म होना बताते हुये पत्रावली लम्बित रखी गई। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 18.02.2021 के अनुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली जो कि स्थानान्तरित होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के समक्ष विचाराधीन जैर आराजी का मूल वाद दिनांक 14.10.2019 को खारिज होने से विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण हेतु अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। आगामी तारीख पेशी पर अधिवक्ता ने पुनः वकालतनामा पेश किया और जवाब हेतु समय चाहा एवं दिनांक 07.07.2021 को हल्का पटवारी से पुनः मौके की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गयी जो प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.05.2022 को अपीलाधीन आदेश पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को दिनांक 26.06.2013 से साक्ष्य सबूत एवं जवाब

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पेश करने के अवसर दिये जो कि मातहत न्यायालय की आदेशिका से प्रमाणित है और उसके पश्चात् लगभग 8 वर्ष 11 माह पश्चात् के पश्चात् अपीलाधीन आदेश पारित किया, ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कहना कि उन्हें सुनवाई हेतु समुचित अवसर नहीं दिया गया, तर्कहीन प्रतीत होता है। साथ ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानी के प्रकरण संख्या 286/13 अनवान मनोहरसिंह बनाम हका निर्णय दिनांक 14.10.2019 के द्वारा खारिज होने से जैर आराजी का स्थगन आदेश स्वतः समाप्त हो गया और उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः जांच कर विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलाण्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने मूल वाद के विचाराधीन रहते अपीलाधीन आदेश पारित किया, विधिसम्मत नहीं है।

राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 183 (ख) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन–जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अतिक्रमियों (अतिधारियों) की संक्षिप्त कार्यवाही द्वारा बेदखली – (1) इस अधिनियम के किसी उपबंध मे कुछ भी बात होते हुये भी वह अतिक्रमी (अतिचारी) जिसने कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य द्वारा धारित किसी भूमि पर बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के कब्जा कर लिया है अथवा कब्जा बनाए रखा है, उस व्यक्ति अथवा उन व्यक्तियों के आवेदन पर, जो कि उसके बेदखल कराने के हकदार हों, (या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी लोक सेवक के विहित रीति से आवेदन करने पर) बेदखली का दायी होगा और प्रत्येक उस कृषि वर्ष के लिए अथवा उसके भाग के लिए जिसमें कि वह ऐसे कब्जे में रहा है शास्ति के रूप में ऐसी राशि देने का और दायी होगा जो कि वार्षिक लगान से (पचास गुनी) तक हो सकेगी। इसी प्रावधानों के अनुरूप वगताराम एवं हकाराम के द्वारा तहसीलदार रानी के समक्ष दिनांक 14.05.2013 को इसी धारा के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा इस प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 07.04.2013 के अनुसार "वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 में प्रार्थी का नाम खातेदारी दर्ज है, लोगों से पूछने पर यह मालूम हुआ कि इस पर कब्जा हड़मतसिंह, मनोहरसिंह पि. दौलतसिंह जाति राजपूत का है तथा मनोहरसिंह काश्त करता है। भू. राजस्व वसूली भी मनोहरसिंह ही भरता है। लोगों से यह जानकारी प्राप्त हुई कि पिछले सैटलमेन्ट पूर्व प्रार्थी पक्षक काश्त करता था जिसके आधार पर उनके नाम खातेदारी दर्ज हो गई थी लेकिन कब्जा व काश्त हडमतसिंह व मनोहरसिंह के पास है।" साथ ही पटवारी देवली पाबूजी की मौका फर्द दिनांक 21.04.2022 के अनुसार भी अपीलाण्ट पिछले कई वर्षों से कब्जा काश्त है और उक्त खसरा भूमि पर खातेदारों का कब्जा नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट स्वयं ने की भी यह स्वीकारोक्ति है कि जैर आराजी पर उनका ही कब्जा है तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी यह प्रमाणित है कि मौके पर उनका कब्जा है। अपीलाण्ट अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर काबज होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण दिनांक 14.05.2013 को दर्ज किया, जिसमें अपीलाण्ट को साक्ष्य/सबूत पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त निर्णय पारित किया, जो कि विधिसम्मत है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मंडल के न्यायिक दृष्टान्त देवीलाल बनाम रामदयाल (मृतक) के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

विधिक प्रतिनिधि (1995 राजस्थान विधि पत्रिका 35) के अनुसार "धारा 44 एवं 45 में यह प्रावधित किया गया है कि कोई भी काश्तकार अपनी जमीन दूसरे को काश्त पर दे सकता हैं परन्तु वह ऐसा अधिनियम के प्रावधित बंधनों के साथ ही कर सकता है। धारा 45 में इस प्रकार के कुछ बंधन लगाये गये है परन्तु धारा 46–ए में स्पष्ट रूप से प्रावधित किया गया है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है अपनी जमीन काश्त करने के लिए किराये पर नहीं दे सकता। वादी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं प्रतिवादी अपीलार्थी जाति का ब्राहम्ण है एवं अनुसूचित जाति का नहीं है, यह एक तथ्य हैं। ऐसी स्थिति मे प्रावधानों को देखते हुए अपनी जमीन विवादग्रस्त वादी या उसके भाई प्रतिवादी अपीलार्थी को काश्त पर दे ही नहीं सकते थे और ऐसी स्थिति में आज यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि दावे के कुछ वर्ष पहले आधी बटाई पर प्रतिवादी अपीलार्थी को यदि भूमि विवादग्रस्त दी भी गई थी तो इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी अपीलार्थी होल्डर ओवर द्वारा काश्तकार या उप काश्तकार हो गया हैं।" तथा माननीय राजस्व मंडल के अन्य न्यायिक दृष्टान्त 1985 आर.आर.डी. 358 ग्यारसीराम बनाम प्रताप के अनुसार राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के अधीन किसी खातेदार अभिधारी के द्वारा अपनी जोत के सम्पूर्ण हित या उसके किसी भाग का विक्रय, दान या वसीयत तब शून्य होगी, यदि ऐसा विक्रय, दान या वसीयत किसी अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, या किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में है जो अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। यह तयशुदा विधि है कि राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42 के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया कोई अन्तरण आरंभ से ही शून्य है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा अनुसूचित जनजाति के सदस्य को किया गया अन्तरण, राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 42(ख) के उल्लंघन में था। कोई भी व्यक्ति, जो किसी ऐसे अन्तरण के अधीन कब्जा लेता है, जो कि प्रारम्भ से ही शून्य है, अन्तरण की तारीख से ही अतिचारी है, इसलिये ऐसे मामलों में उसकी धारा 183 ख लागू होगी। उक्त अन्तरण के होने पर भी मूल खातेदार उक्त भूमि का खातेदार बना रहेगा, और वह ऐसा व्यक्ति होगा, जो अतिचारी को बेदखल करने का हकदार होगा।

अधिवक्ता अपीलाण्ट का अन्य उज्र यह था कि जैर आराजी पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि थी तथा सैटलमेन्ट की गलती से यह भूमि रेस्पोडेण्ट के हक हिस्से में चली गई। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2009 से 2028 के अनुसार रेस्पोडेण्ट के पिता उप काश्तकार थे तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.04.2013 में अंकित तथ्यों अनुसार जैर आराजी पूर्व में अपीलाण्ट के पूर्वजों की थी। हस्तगत प्रकरण में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भूमि रेस्पोडेण्ट्स के नाम दर्ज है और अभी तक यह प्रविष्टि वैध है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 खातेदार काश्तकार – (1) धारा 16 के उपबंधों तथा धारा 180 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर उप–किरायेदार या खुदकाश्त के काश्तकार से भिन्न भूमि का काश्तकार है या जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पश्चात उप–किरायेदार या खुदकाश्त के काश्तकार से भिन्न काश्तकार के रूप में या राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन और उनके अनुसार भूमि के आंवटिती के रूप में स्वीकार किया गया है या जो इस अधिनियम या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपंबधों के अनुसार खातेदारी अधिकार अर्जित करता है, खातेदार काश्तकार होगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रदत्त सभी अधिकारों का हकदार होगा। जिसके तहत रेस्पोडेण्ट जैर आराजी का खातेदार काश्तकार है और अपीलाण्ट का जैर आराजी पर वर्तमान में केवल कब्जा है और भूमि पर कब्जा, खातेदारी अधिकार का प्रमाण नही होता जब तक कि वह वैधानिक रूप से घोषित न किया गया हो, ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का कब्जा अवैध है। प्रकरण में अपीलाण्ट का दावा खातेदारी घोषणा के सम्बन्ध में है, जिसके सम्बन्ध में अनुतोष सक्षम न्यायालय से ही प्राप्त किये जा सकते है। अपीलाण्ट्स का मूल वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानी में तकनीकी आधार पर खारिज किया गया था तो इस सम्बन्ध में विधि में पृथक से उपचार उपलब्ध है और उस बाबत् अपीलाण्ट स्वतंत्र है। केवल इन तथ्यों की आड़ में अपीलाधीन आदेश को विधिविरूद्ध ठहराना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत एवं कानून के अनुरूप है। अपीलाण्ट्स जैर आराजी पर अतिक्रमी थे तथा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–ख में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया, जो कि विधिसम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली